

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
धीरज बनाम केशव वगै०
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 01 सन् 2024

2024/58

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
01.01.24	<p>अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस एकतरफा में निवेदन किया कि भूमि आराजी ख0न0 1559, 169 व ख0न0 228 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 1.9726 हैक्ट. वाके ग्राम हाडीकलां, पटवार हल्का हाडीकलां तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाज्य आराजीयात है। उक्त आराजीयात में खातेदार प्रार्थीगण की माता का देहान्त हो चुका है। उक्त आराजीयात प्रार्थी अपनी माता की विरासत हिस्सा 1/3 व प्रतिपक्षीगण का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा है। उक्तानुसार ही वादी काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है। जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हो रखा है। लेकिन प्रतिपक्षीगण बिना विधिवत् तकास्मा के रहन, दान, बेचान एवं निर्माण कार्य करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।</p> <p>प्रकरण में प्राइमाफेसीयाँ केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 उक्त वर्णित आराजीयात में संयुक्त रूप से खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं एवं प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात का बिना विधिवत् विभाजन के रहन, दान, बेचान नहीं करे एवं प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजीयात के उपयोग उपभोग में मजामहत एवं मदाखलत नहीं करे। निर्माण कार्य नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 01.02.2024 को पेश हो।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

02 पत्रावली पेज हुई। अधिकतम प्राचीन उपस्थित/पि. आ. राज्य राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/व्यवसाय/अन्य कारणों के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 05.04.24 पेश हो।
Ray

5⁴ पत्रावली पेज हुई। सम्मान तालिका जारी है।
पेश होकर दिनांक 18-6-24 को पेश हो।

EP

18⁶ पत्रावली पेज हुई। अधिकतम प्राचीन उपस्थित/पि. आ. राज्य राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/व्यवसाय/अन्य कारणों के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 22-8-24 पेश हो।
Ray

22⁰⁸ पत्रावली पेज हुई। अधिकतम प्राचीन उपस्थित/पि. आ. राज्य राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/व्यवसाय/अन्य कारणों के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 29.10.2024 पेश हो।
Ray

29¹⁰ पत्रावली पेज हुई। सम्मान तालिका जारी है।
श्री. ए. टी. का. ए. पी. पेज होकर दिनांक 27-12-24 को पेश हो।
Ray

27¹² पत्रावली पेज हुई। अधिकतम प्राचीन उपस्थित/पि. आ. राज्य राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/व्यवसाय/अन्य कारणों के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 05.03.2025 को पेश हो।
Ray

05⁰³ पत्रावली पेज हुई। अधिकतम प्राचीन उपस्थित/पि. आ. राज्य राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/व्यवसाय/अन्य कारणों के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 13.05.25 को पेश हो।
Ray

13⁵ पत्रावली पेज हुई। अधिकतम प्राचीन उपस्थित/पि. आ. राज्य राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/व्यवसाय/अन्य कारणों के कारण पत्रावली तब आदेशिका अनुसार दिनांक 30.5.25 को पेश हो।
Ray

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

धीरज.....बनाम.....केशव

केसम मुकद्दमा.....नं.....०१ सन.....२०२५

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	----------------------------------	---

30/05 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्राथी
 30/05 अनुरोध/क्र.आ. साहज राजमार्ग में व्यस्त।
 अक्षयपरा पर/स्थानान्तरित होने के कारण
 पत्रावली 17/05/25 अनुसार दिनांक
 17/05/25

17/05 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्राथी
 17/05 प्रतिक्रिया ल. 03 की तलबी हेतु लम्पत तलबना
 पेश होकर दिनांक 01/07/25 की पेश हो।

3/7/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्राथी
 3/7/25 अनुरोध/क्र.आ. साहज राजमार्ग में व्यस्त।
 अक्षयपरा पर/स्थानान्तरित होने के कारण
 पत्रावली 16/09/25 अनुसार दिनांक
 16/09/25

16/09 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व
 25 पक्षकार अनुपस्थित रहे। बर-2 आवाप
 लगायी गई, कोई उपस्थित नहीं हुआ।
 अन्तिम आवाप साप: 5:00 बजे लगायी
 गई। उलापपर अलुं रहे के कारण पत्रावली
 अक्षयपरा में खारिज की जाती है। पत्रावली
 निर्णित शुमार होकर दफ्तर दायित हो एवं
 नियमानुसार नम्बर से कम है।

उप खण्ड अधिकारी
 पीपलू (टॉक)